(11)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म0प्र0

निग 3457 - I - 16

1. धांधू तनय स्व. धन्से धानक
2. बिरजा तनय स्व. धन्से धानक
3. हरदास तनय धांधू धानक
4. सोहन तनय धांधू धानक
5. राजकुमार तनय धांधू धानक
6. क्रांति पुत्री धांधू धानक

सभी निवासी ग्राम ललोई तह. मालथौन जिला सागर

.....निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

विरूद्व

1. म.प्र.शासन
2. श्रीमति शारदाबाई पति सूरज सिंह राजपूत
   निवासी ग्राम देवराजी तह. मालथौन जिला सागर .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एंव धारा 165 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्र 304/बी–121/15–16 में पारित आदेश दिनांक 12/8/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा देवराजी स्थित भूमि खसरा क्र 214 रकवा 2.02 हे. आवेदकगण को पट्टे पर प्राप्त भूमि है जिसको अनावेदक क्र 2 को विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे कलेक्टर सागर द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे भी अपर आयुक्त सागर द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

(नितेन्द्र सिंघई
एड. सागर
94251-71223)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3477-I|16 जिला .....सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-10-16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 304/बी–121/वर्ष 15–16 में पारित आदेश दिनांक 12/8/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण की भूमि ग्राम मौजा देवराजी तह. मालथौन जिला सागर स्थित खसरा क्र 214 रकवा क्रमशः 2.02 हे भूमि आवेदकगण को बंटन में प्राप्त भूमि है तथा वर्तमान में आवेदकगण के नाम पर दर्ज भूमि है। जिसको अनावेदक क्र 2 को विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे कलेक्टर सागर द्वारा सरसरे तौर पर निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसे भी अपर आयुक्त सागर द्वारा निरस्त किया गया है जिस कारण यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदकगण ग्राम ललोई के निवासी है तथा प्रश्नाधीन भूमि ग्राम देवराजी में स्थित है जिस कारण आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि पर काश्तकारी करने में अत्याधिक कठनाई हो रही है तथा वह ठीक तरीके से काश्तकारी नहीं कर पा रहे है जिस कारण से उनको आर्थिक हानि हो रही है इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ. आदि के हस्ताक्षर
	जीविकोपार्जन कर सकें। आवेदक क्र 1 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में उसका स्वास्थ भी अत्यन्त खराब हो गया है जिस कारण से इलाज हेतु उसे पैसों की अत्यन्त आवश्यकता है। आवेदकगण का यह भी तर्क है कि चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त अपने निवास स्थान के समीप अन्य भूमि क्रय करेगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।	
	4— आवेदकगण के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक क्र 2 को विकय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा आवेदकगण ग्राम ललोई के निवासी है एंव प्रश्नाधीन भूमि ग्राम देवराजी में स्थित है। आवेदक क्र 1 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि को अनावेदक क्र 2 को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के स्थान पर अन्य भूमि अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगे इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	
	5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 12/8/16 एंव कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 29/12/15 निरस्त किए जाते है परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है आवेदकगण को भूमि खसरा क्र 214 रकवा 2.02 हे को अनावेदक क्र 2 को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विकय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विकेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें ।	
	सदस्य	